नाबार्ड

संदर्भ सं. राबैं.डॉर/पीपीएस – 9 /71482-71512/ 2024-25

परिपत्र सं.232/ डॉर –59/ 2024

23 अक्तूबर 2024

प्रबंध निदेशक

सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

विशेष पुनर्वित्त सुविधा – सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना (डब्ल्यूएलजीएसपी) के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बहु-सेवा केंद्र (एमएससी) के रूप में पैक्स का रूपांतरण

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना (डब्ल्यूएलजीएसपी) के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को सहयोग प्रदान करने हेतु नाबार्ड स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा मोड के तहत राज्य सहकारी बैंकों को एमएससी के रूप में पैक्स के अंतर्गत विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान कर रहा है.

2. विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सीआरएआर, निवल एनपीए और निवल लाभ से संबंधित पात्रता मानदंडों पर विशेष मामले के रूप में छूट प्रदान की गई है. इस सुविधा के तहत उन राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा, जिनके पास NBD1 से NBD7 के बीच नाबार्ड कि आंतरिक रेटिंग है.

3. इसके अलावा NBD8 और NBD9 वाली नाबार्ड आंतरिक जोखिम रेटिंग वाले और/ या नकारात्मक निवल संपत्ति वाले राज्य सहकारी बैंकों/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को नाबार्ड के पक्ष में स्पष्ट रूप से चिह्नित ग्रहणाधिकार के साथ संपार्श्विक के रूप में उन सावधि जमा रसीदों की गिरवी पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा, जिसका मूल्य वितरित की जाने वाली प्रस्तावित राशि का 105% होगा, जिससे मूलधन और उपार्जित ब्याज राशि को कवर किया जा सके. ऐसे प्रयोजनों हेतु बंधक रखी गईं सावधि जमा रसीदें संवितरित ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान बकाया मूलधन राशि के 105% से कम नहीं होनी चाहिए.

4. राज्य सहकारी बैंकों हेतु इस विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर 3% प्रति वर्ष होगा और पैक्स द्वारा प्रभारित किया जाने वाला अंतिम ब्याज दर नाबार्ड द्वारा प्रभारित ब्याज दर के ऊपर और उससे अधिक से 1% से अधिक नहीं होना चाहिए. राज्य सहकारी बैंक तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा साझा किया जाने वाला ब्याज मार्जिन पर निर्णय पारस्परिक रूप से सहमत नियमों के आधार पर लिया जाएगा और

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित विभाग
प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

नाबार्ड

तदनुसार निर्धारित किया जाएगा. नाबार्ड समय-समय पर ब्याज दर में संशोधन करने का अधिकार रखता है.

5. पुनर्वित्त की चुकौती 6-24 महीने की रियायत अवधि सहित 7 वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर की जानी चाहिए, जो कि आय उत्पत्ति और पैक्स द्वारा प्रस्तावित आधारभूत संरचना के प्रकार पर निर्भर करेगा. निर्धारण हेतु वास्तविक चुकौती अवधि अनुमानित नकद प्रवाहों, आस्ति के आर्थिक जीवनकाल और 1.50 के औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) पर आधारित होगी.

6. राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक हेतु नाबार्ड द्वारा स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के लिए यथालागू अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

भवदीय

eSign
Signed by: KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH
Organization Unit: CHIEF GENERAL MANAGER
Organization Name: THE NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Date: 23-Oct-2024 (04:33 PM)

(डॉ. के एस महेश)
मुख्य महाप्रबंधक